

13

CERTIFICATE OF REGISTRATION

OF

SOCIETY ACT XXI 1860,

No. १८४६०

I hereby certify that "२५८८ विकास सोसायटी"



has been registered under the
SOCIETIES REGISTRATION ACT, XXI of 1860.

GIVEN UNDER MY HAND at DELHI on this 18th DAY OF
August One Thousand Nine Hundred and Eighty
Four.

REGISTRATION FEE OF RS.50/- PAID.

/ /
REGISTRAR OF SOCIETIES

DELHI ADMN. DELHI.

ज्ञापन पत्र

1. संस्थां का नाम : राहुल ढाका विकास सोसाईटी है।
2. कार्यलाय का पता: ए-140 राज पार्क सुल्तान पुर एक्सटेन्शन, सुलतान पुरी रोड दिल्ली-110086 में ही सघं राज्य क्षेत्र दिल्ली में ही रहेगा।
3. उद्देश्यः—
 1. भारतीय प्राचीन भाषाओं का प्रचार एवं प्रसार।
 2. राहुल ढाका विकास सीमिति उपरोक्त का सुचारा रूप से सचांलन करना तथा उसका प्रबंध करना।
 3. संस्कृत, प्राकृत, पालि भाषाओं एवं अस्त्रीय संस्कृति के प्रचार देव प्रसार के लिए विधालय महाविधालय एवं संघान विभाग की स्थापना करना तथा सचांलन करना।
 4. जैन एवं पैनतेर सभी हिन्दु पर्थी पन्थ का शिक्षा के लिए प्रबंध कराना तथा सभाओं एवे गोसिटियों का आयोजन करना।
 5. चरित्र निर्माण की शिक्षा छात्रों में समाज, राष्ट्र एवं विश्व की सेवा भावना ही जागृत करना।
 6. बालोपयोगी एवं समाज उपयोगी पत्रिका एवं ग्रन्थी का प्रकाशन करना।
 7. महिलाओं के लिए सिलाई, बढाई केन्द्र की स्थापना करना।
 8. प्रोढ शिक्षा केन्द्रो की स्थापना करना तथा उसका प्रबंध करना।
 9. औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा लोगों को उघोग सम्बंधित पूरी जानकारी देना।
 10. उघोग सम्बंधित नई नई खोज करने में सरकार का सहयोग देना।

ज्ञापन पत्र

For Registrar of Society (N.W.)

- 15 - भेरोजार लोगों की रोजार सम्बन्धित जनकारी देना तथा भूमि केन्द्रों की स्थापना करके भेरोजारी दूरी करने में सरकार को सहयोग देना ।

16 - ऐसे सभी कार्य करना जो सौलायटी समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो ।

4

हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता संघ राज्य देश दिल्ली प्रभावी समिति
पर्याप्तता की अधिनियम 1860 का 21 ½ पंजाब सरांधित अधिनियम
1957 ½ की धारा 2 के बाधीन आपेक्षित कार्यकारिणी समिति के अधिकारी
एवं सदस्यों के नाम, पद व्यवाय, पृष्ठाएँ, जिनकी संस्थाके नियमा
नुसार कार्यभार सौंपा गया के नाम निम्नलिखित हैं


क्रमांक	नाम	पद	व्यापार संस्था Society Name	पता	हस्ताक्षर
1.	शंकर लाल	प्रधान	सुल्तानपुरी-2/303, सुल्तानपुरी	पटा-110041	
2.	बिन्दु कुमार	उप प्रधान	सुल्तानपुरी-2/481	पटा-110041	
3.	जय विजय	प्रधानमंत्री	नौकरी मालानगर 140, सुल्तानफस्टेशन पुरी दिल्ली-110041	पटा-110041	
4.	दिनेश कुमार	उप मंत्री	व्यापार ली/2/304 सुल्तानपुरी	पटा-110041	
5.	श्रीमती सुरालिलादेवी कोषाथका		गृहस्थी मालानगर 140, सुल्तान पुरी फस्टेशन नौकरी दिल्ली	पटा-110041	
6.	श्रीमती निर्मला देवी	सदस्य	म०नी 159, सुल्तानपुरी	पटा-110041	
7.	रनबीर	सदस्य	व्यापार पी-2/431 सुल्तानपुरी	पटा-110041	
8.	एस०के मलहोत्रा	सदस्य	व्यापार म०नी 151, सुल्तानपुरी	फस्टेशन, दिल्ली-41	
9.	श्रीमती आरा सचदेवा	सदस्य	गृहस्थी म०नी 0457, नांगलोड़ी दिल्ली-41	पटा-110041	
10.	नक्की				

(5) *for*
Registrar of Society (N.W.)

- 3 -

ज्ञापन पत्र

(4)


नाम	पद	व्यक्तिय	पूर्णपता	हस्ताक्षर
लक्ष्मी	सदस्य	गृहस्थी	एक-4/363 सुलतान पुरी दिल्ली-4।	
ब्राह्मोक कुमार	सदस्य	व्यापार	सी-1/169 सुलतान पुरी दिल्ली-4।	

(Recep)

(Death)

सदस्यों के हस्ताक्षर

दिनांक —————



नियम - उप नियम

- 9 -



16. न्यायालय :-

न्यायालय में यदि कोई मुख्यमा सौमायटी के किसी दायर होता है या सौमायटी के किसी उन्नीकरण किसी विस्तृत मुख्यमा दायर करना पड़ा तो वह संस्था पंजीयनिक की धारा 6 के अनुचार सौमायटी के संबंधी के इसी त्रिया जाएगा।

30 17. सूचनादेना :-

किसी प्रवार के ऐछ की सूचना ऐछ की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व देनी चाहिए होगी। दायरत भालीन ऐछ तत्पात्र लुभाई जाएगी।

संस्थाओं के इस्ताबद्दी

1. — ~~संस्थाना शुद्धारन~~ 2016 में
— ~~संस्थाना शुद्धारण~~
2. — ~~संस्थाना शुद्धारण~~
3. — ~~संस्थाना शुद्धारण~~

दिनांक —————

SAJJAN KUMARI

Member of Parliament

Lok Sabha

Delhi

India

Date

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

[Signature]
Principal
R.D. Public School
(Govt. Recognised)
Sector 5, V.S.S., Delhi-41

हम निम्नलिखित ज्ञापन पत्रों का अनुकरण करते हुए संघ राज्य वेदे
दिल्ली प्रभावी समिति द्विधनियम 1860 का [21] पंजाब संस्कृत द्विधनियम
1957] के अधीन राहुल टाका, सौसायटी के नाम इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना
चाहते हैं।

संख्या	नाम	पद	व्यक्तिगत	पता	इस्ताधर
1.	शंकर लाल	प्रधान	महरी	सी-2/303, सुलतानपुरी दिल्ली-11004।	11004
2.	लनिलकुमार	उपप्रधान	महरी	पी-2/481, सुलतानपुरी दिल्ली-11004।	Anil. k.
3.	जय किंगन	प्रृष्ठानामी	नौकरी	म० न० ०१४०, सुलतानपुरी एक्सटेंडर दिल्ली-५।	5
4.	दिनेश कुमार	उप महरी	व्यापार	सी-2/304 सुलतानपुरी दिल्ली-11004।	11004
5.	श्रीमती सुराजीलालदेवी	कोबाल्डा गृहस्थी		म० न० ०१४० सुलतानपुरी एक्सटेंडर दिल्ली-५।	
6.	श्रीमती निर्मलादेवी	सदस्य	गृहस्थी	म० न० ०१५१, सुलतानपुरी दिल्ली-11004।	11004
7.	रनबीर	सदस्य	व्यापारी	पा-२/५३। सुलतानपुरी दिल्ली-11004।	Bing
8.	एस० के० मलहोत्रा	सदस्य	व्यापार	म० न० ०१५१, सुलतानपुरी एक्सटेंडर दिल्ली-५।	11004
9.	अमृता गुप्तालदेवा	सदस्य	गृहस्थी	म० न० ०५७, नॉगलोई दिल्ली-11004।	AS
10.	लक्ष्मी	सदस्य	हस्थी	एस-४/३६३ सुलतानपुरी दिल्ली-11004।	guru
11.	ब्रौकुमार	सदस्य	व्यापारी	ती-१/१६९ सुलतानपुरी दिल्ली-11004।	05/02

सदस्यों के इस्ताधर

- 1. प्रधान
- 2. उपप्रधान
- 3. उपमहरी

दिनांक

(1)

Amended as on 11.12.2019



Registrar of Society (N.W.)

नियम – उपनियम

1. संस्था का नामः— राहुल ढाका विकास सोसायटी है।
2. कार्यालय का पता :- ए-140 राजपार्क सुल्तान पुरी, दिल्ली-110086
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में ही रहेगा।
3. सोसायटी का संगठन :- उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोसायटी का निम्नप्रकार से होगा।

अ साधारण सदस्यः—

सोसायटी के उद्देश्यों में विश्वास रखने वाले उत्तम आचरणशील, भारतीय नागरिक 12/- रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देकर साधारण सदस्य बन सकते हैं।

ब विशेष सदस्यः—

साधारण सदस्यों का योग्यता रखने वाले व्यक्ति 201/- रुपया एक साथ देने पर विशेष सदस्य बन सकते हैं।

स- आजीवन सदस्यः—

साधारण सदस्य की योग्यता रखने वाले व्यक्ति 1100/- रुपया एक साथ देने पर आजीवन सदस्य बन सकते हैं।

द- सम्मानित सदस्यः—

वे व्यक्ति जो भारतीय भाषाओं के विशिष्ट विधान प्राच्य विधा विशारद अथवा सासायटी के लिए बहुत ही उपयोगी राजनायिक हैं। वे बिना किसी शुल्क के ही पाँच वर्ष तक के लिये सोसायटी के सम्मानित सदस्य कार्यकारिणी सभा द्वारा मनोनित किये जा सकते हैं। उन सदस्यों का चनाव आदि पक्षपात पूर्ण कार्य अलग होगा।

(8)

नियम – उप नियम

5:-

पद से मुक्त :-

कोई भी व्यक्ति पदाधिकारी सवेच्छा से किसी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। आचरण हीनता सिद्ध होने पर अथवा शासन द्वारा दण्डित घोषित होने पर कार्यकारिणी बहुमत अविश्वास प्रस्ताव पारित करके किसी भी पदाधिकारी को अपने पद से अलग कर सकती हैं।

6:-

पदाधिकारियों का कर्तव्य व आधिकार:
अध्यक्षः— सोसायटा की विशेष बैठक का नियंत्रण तथा विधेयशानों की अध्यक्षता करना।

उप अध्यक्ष :-

- 1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता के रूप में कार्यकरना।
- 2 ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग करना एवं कर्तव्यों का पालन करना भी अध्यक्ष द्वारा उनके लिखित रूप में प्रति विदित किये गये हो।

मन्त्री:-

- 1 यह सोसाईटी के लिए समस्त अनुदान तथा चन्दे प्राप्त करना और उनके लिए यथां विधि रसीद देना।
- 2 कार्यसमिति के निर्देशों के अधीन रखते हुए सोसायटी को सम्पत्तियों तथा धन राशियों की सुरक्षित अभीरक्षा तथा विनियोजित का प्रबन्ध करना वह एसी सम्पत्ति तथा धनराशी के प्रबन्ध तथा प्रशासन के लिए भी अत्तरदायी होगी।

१

M

Registrar of Society (N.W.)

नियम— उपनियम

3

कार्यकारिणी के कर्तव्य व कार्यः—

- 1 नर्सरी से प्राईमरी एवं उच्च शिक्षा के लिए विधालय महाविधालय, स्थापित करना तथा उसका सचालन करना।
- 2 नारी शिक्षा के लिये कन्या विधालय, कन्या महाविधालय सिलाई कढाई केन्द्र स्थापित करना तथा उसके संचालन करना।
- 3 बच्चों के मनोरंजन का व्यस्था करना तथा समाजिक खेल कूद एवं प्रतियोगिता तथा विधालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम करना तथा उसका सचालन करना।
- 4 समिति नर्सरी से प्राइमरी उच्च शिक्षा के लिए विधालय महाविधालयों निशुल्क औषधालय स्थापित करना तथा उसका सचालन करना।



5 मंत्री पद का श्री जय किशन इस सोसायटी की आजीवन प्रधान मंत्री होगा।

परन्तु दनके त्याग पत्र देने पर या इनके मृत्यु के पश्चात इस पद का कार्यकारिणी समा द्वारा चुनाव होगा।

4 नियमों तथा स्वीकृति की राशि की बजट में की गयी व्यवस्था के भीतर सासायटी के वित का प्रशासन तथा नियन्त्रण करना।

5 कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से सासायटी के समस्त लेखा का संचालन और उसकी वार्षिकी परीक्षा को प्रबन्ध करना।

6 विभिन्न संस्थाओं तथा समितियों के अन्य समस्त कर्मचारियों के वेतन तथा धन राशियों का भुगतान करना और कार्य समिति द्वारा अधिकृती व्यय में से सामग्रियों के लिए भुगतान स्वीकृत करना।

7 सोसायटी की वार्षिक रिपोर्ट द्वायार करना।

8 सासायटी सम्बन्धित अनुबन्ध तथा सोसायटी की सम्पत्ति से सम्बद्धित समस्त हस्ताक्षरों और सविदों समस्त विल्लेखा पर हस्ताक्षर करना।

9 सोसायटी से सम्बद्धित समस्त कानूनी कार्यवाही प्रतिनिधित्व करना और उन कार्यवाहियों अथवा मामलों में उनकी और से अभिकथनो प्लीडिंग पर हस्ताक्षर करना तथा उनके सत्यापित करना यदि संस्था पर कोई मुकदमा चलता है। या संस्था किसी पर मुकदमा चलाती है। तो वह मंत्री के नाम से ही दायर होगा।

10 अध्यक्ष की स्वीकृति से कार्य समिति की बैठके बुलाना और सोसायटी के प्रबन्ध तथा प्रशासन से सम्बद्धित समस्त पत्र।

(11)

Registrar of Society (N.W.)

नियम उप नियम

व्यवहार रजिस्टरी तथा पुस्तको का अभिलेखा करना सोसायटी की स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिक से अधिक 200रुपया। तक व्यय करना।

11 सभी विधालयों के पथेन प्रबन्धक के रूप में कार्य करना तथा शिक्षा संस्थाओं के मुख्य कार्य अधिकारी का भार वहन करना।

उप मंत्री

मंत्री की उसके कर्तव्य पालन में सहायता और उसकी और से उन मामलो में काम करना जो मंत्री द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये हो।

विधालय के पदेन सहायक प्रबन्धक को कार्य करना।

कोषाध्यक्षः—



कोषाध्यक्ष 1 सोसायटी समस्त विधियों तथा राशियों तथा व लेखा करना।

2 मंत्री के साथ सयुंक्त रूप से संस्था के सभी लेखों का सुचालित करना।

3 सासायटी के लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा रजिस्ट्रार प्रमाणक बाउचर रसीदें तथा अन्यवत् जो लेखों परीक्षक के लिये आवश्यक हो, प्रस्तुत करना।

लेखा परीक्षकः—

प्रतिवर्ष कार्यकारिणी किली वाहय अनुभव शील व्यक्ति की आय व्यय, निरीक्षण हेतु मनोनित करेगी।

लेखा परीक्षक कोषाध्यक्ष अथवा मंत्री द्वारा प्रस्तुत सोसायटी के वार्षिक आय व्यय की परीक्षा करेगा औ तत्सम्बंधित व प्रमाण पत्र देना

for 
Registrar of Society (N.W.)

नियम उप नियम

7/1 सोसायटी की सभी निधियों बैंक या डाकघर में मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के सयुक्त पदनामों से जमा किये जायेगे।

7/2 अधिक से अधिक 100 रुपया तक की धनराशी कोषाध्यक्ष अपने पास रख सकेगा।

7/3 लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक अधिवेशन से पूर्व सोसायटी से पूर्व सोसायटी की लेखा की परीक्षा करेगा। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सोसायटी की आय, व्यय, विवरण के लगा दी जायेगी।

8 नियमावली में परिवर्तनः—

इस नियमकाली में परिवर्तन करने का अधिकार कार्यकारिणी का होगा। ऐसे परिवर्तन के लिये कार्यकारिणी के तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

9 रिक्त स्थान की पूर्ति:-

प्रबन्ध समिति में कोई स्थान आकस्मिक रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण द्वारा चुनाव करके की जायेगी।

10 सदस्यता समाप्त :-

10/1 सोसायटी के उद्देश्यों का विपरीत करने पर।

10/2 नियम-उपनियमों में उलंघन करने पर।

10/3 त्याग पत्र देने पर, मृत्यु मागल, दिवालियों होने पर।

10/4 अविश्वास प्रस्ताव पास कर हटाये जाने पर।

10/5 तीन बैठके लातार बिना सूचता दिये अनुपस्थित हाने पर।

10/6 लगातार तीन माह तक सोसायटी का मासिक शुल्क जमा न करने पर।

10/7 न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध में दफ्तिंत कये जाने पर।

10/8 जो ऐसा कर्यकरने पर सोसायटी के जानकारी नहीं हो और जिसमें सासायटी पर कोई धार्मिक समाजिक गतिरोध पैदा होता है।

10/9 बैठक के आवश्यक रूप से गडबड पैदा करने पर।

11 अपील:-

किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर उसकी कार्यकारिणी की बैठक में अपनी सदस्यता के लिए अपील करने का अधिकार होगा।

12 पुनः सदस्यता:-

किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर कार्यकारिणी उसकी आवेदन पत्र विचार करेगी और उसकी बहाल कर सकेगी, लेनि सदस्यता बहाल करने पर सदस्य की सासायटी पिछली समस्त देय धनराशियों का भूगतान करना होगा तथा प्रवेश शुल्क पुनः जमा कराना होगा तभी उसकी सासायटी का सदस्य बनाया जा सकेगा।

13 साधारण सभा कर्तव्य व अधिकार:-

13/1 सोसायटी के समस्त सदस्यों की एकत्र करके ही साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

13/2 साधारण सभा की बैठके एक माह में एक बार अवश्य होगी। इसलिए कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

13/3 साधारण सभी की कोरम 1/3 सदस्यों की उपस्थिति ही माना लायेगा।

(14)

Registrar of Society (N.W.)

13/4 कार्यकारिणी के सदस्यों व पदाधिकारियों के कार्य का निरीक्षण करना अपना निर्णय देना।

13/5 कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव साधारण सभी की बैठक में ही तीन वर्ष बाद ही किया जायेगा।

13/6 सोसायटी के आय, वयय में समस्त हिसाब किताब की पूर्ति साधारण सभा ही करेगी।

13/7 साधारण सभा द्वारा किये गये निर्णय अन्तिम माना जायेंगे।

14 कार्यकारिणी कर्तव्य व अधिकारः—

14/1 कार्यकारिणी की बैठके एक माह में एक बार होगी। उसके लिये कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता।

14/2 सासायटी के समस्त कार्य एवं सदस्यों की देखभाल करना।

14/3 सासायटी समय -समय प्रकार के सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।

14/4 सोसायटी केस उद्देश्यों का पूर्ति हेतु उपसमिति का गठित करना इनके कार्यों का सौपना, कार्य समाप्त पर उनकी भंग करना।

14/5 सोसायटी के कार्य पूर्ति हेतु कर्मचारियों का नियुक्ति करना, उनकी कार्यसौपना कार्यों का निरीक्षण करना उनका वेतन नियुक्ति करना, वेतन कम करना बढ़ाना उनका वेतन निश्चित करना वेतन का भुगतान करना कोई अवाचित कार्य करने पर उनकी निलम्बित करना।

15 कोरमः—

सोसायटी के समस्त प्रकार की बैठक में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होना कोरम मानी जायेगी। उससे कम उपस्थिति होने पर बैठक

(15)



Registrar of Society (N.W.)

स्थगित हो जायेगी। पुनः दो दिन बाद बुलाई जायेगी। और इस प्रकार से बुलाई गई बैठक उपरोक्त के अनुसार कोरम की पूरी होने अनिवार्य नहीं हो और ऐसी बैठक में लिये गये निण्य अन्तिम ही मानी जायेगी।





OFFICE OF THE REGISTRAR OF SOCIETY
District North-West, Kanjhawala, Delhi-110081
Registration No. S/14440
Documentation No.
Date 18/04/1984

11/12/19

Registrar of society
District North- West
Govt. of NCT of Delhi

Amended as on 11/12/2019

for Registrar of Society (N.W.)



SDM (HQ) Registrar of Firms/Society
District North- West, Kanjhawala, Delhi
Diary No. 7224
Date 31/10/2015

(16)



संशोधन

सेसायटी की शासी निकाय को समाज द्वारा संचालित स्कूलों की प्रबंधन समिति का
गठन करने और स्कूल के अध्यक्ष और प्रबंधक को नामित करने का अधिकार है।

दलबीर सिंह
(अध्यक्ष)

जय किशन
(सचिव)
जय किशन

सचिव
वस्त बाला विकास छोटावडी (प्रिमा)

सुरभिला देवी
(कोषाध्यक्ष)



17

रेजिस्ट्रर

Registrar of Society (N.Y.)

संशोधन

प्रस्ताव दिनांक 31/01/2019 को राहुल ढाका समाज रजिस्टर और शासी निकाय
राहुल ढाका समाज(एस -14460) के प्रबंध सदस्यां के नाम पता, व्यवसाय,
योग्यता, और पदनाम में परिवर्तन के संबंध में पारित किया गया था।

प्रबंध समिति राहुल ढाका समाज रजिस्टर

क्रम संख्या	नाम	पद	शैक्षणिक शिक्षा	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	दलबीर सिंह	अध्यक्ष	एम ए बीएड	शिक्षाविद	फलैट नं 102 सी022 पाकेट 13 रोहिणी दिल्ली	
2	राहुल ढाका	उपाध्यक्ष		शिक्षाविद	म न ए-140 राजपार्क सुल्तान पुरी दिल्ली	
3	वरुण	उपाध्यक्ष		शिक्षाविद	म न ए-140 राजपार्क सुल्तान पुरी दिल्ली	
4	जय किशन	सचिव		शिक्षाविद	म न ए-140 राजपार्क सुल्तान पुरी दिल्ली	
5	सुशीला देवी	कोषाध्यक्ष	दस्ती	समाज सेवक	म न ए-140 राजपार्क सुल्तान पुरी दिल्ली	
6	योगिता ढाका	सदस्य			म न ए-39 राजपार्क सुल्तान पुरी दिल्ली	
7	वरुणा ढाका	सदस्य	एम कॉम	शिक्षाविद	म न ए-140 सुल्तान पुरी दिल्ली	
8	भूमीता भारदवाज	सदस्य	एम ए बीएड	शिक्षक	म न ई1/38 सुल्तान पुरी दिल्ली	

दलबीर सिंह
(अध्यक्ष)

जय किशन
(सचिव)
जय किशन
सचिव

राहुल ढाका समाज रजिस्टर (रजिस्टर)

सुशीला देवी
(कोषाध्यक्ष)

संशोधन सूची शासी निकाय

मैं जय किशन सचिव राहुल ढाका विकास सोसायटी रजिस्ट्रेशन (एस - 14460) इसके द्वारा यह प्रमाणित करता है कि सरकार की सेवा में गवर्निंग बोर्डी का कोई भी सदस्य गवर्निंग बोर्डी के वर्तमान सदस्य को पूर्ण विवरण नीचे सूचीबद्ध नहीं किया गया है जिसे सोसायटी का प्रबंधन धारा 2 के तहत आवश्यक रूप से सौंपा गया है 1860 के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आवेदन के रूप में सोसायटी पंजिकरण अधिनियम के तहत है।



क्रम संख्या	नाम	जन्मतिथि	पद	शीक्षण का व्यवसाय	पता	अनुमति	हस्ताक्षर
1	दलबीर सिंह पुत्र श्री मुन्नी राम	25.03.1966	अध्यक्ष	एम.ए बीएड	शिक्षाविद आर डी पी एस एन 48 सुल्तान पुरी रोड ब्लॉक डी-5 कृष्ण विहार दिल्ली	26 वर्ष	
2	विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरजभान शर्मा	05.08.1958	उपाध्यक्ष	दसवी	नौकरी आर डी आई एस पाकेट 9 - सै 0 21 रोहिणी दिल्ली	30 वर्ष	
3	महावीर अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल	18.08.1968	सदस्य	बारहवी	नौकरी आर डी आई एस पाकेट 9 - सै 0 21 रोहिणी दिल्ली	10 वर्ष	
4	जय किशन पुत्र श्री शंकर लाल	15.04.1958	सचिव	वी.ए. ॥	शिक्षाविद आर डी आई एस पाकेट 9 - सै 0 21 रोहिणी दिल्ली	40 वर्ष	
5	सुशीला देवी	10.03.1969	कोषाध्यक्ष	दसवी	समाज	आर डी पी एस	40

(19)

	पुत्री श्री सुमेर चन्द				सेवक	एन 48 सुल्तान पुरी रोड ब्लॉक डी-5 कृष्ण विहार दिल्ली	वर्ष	
6	योगिता ढाका पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार	16.09.1998	सदस्य	एम म शीएड		आर डी पी एस एन 48 सुल्तान पुरी रोड ब्लॉक डी-5 कृष्ण विहार दिल्ली	06 वर्ष	40969 Rani
7	वरुणा ढाका पुत्री श्री गिरधारी लाल सामर	18.01.1993	सदस्य	एम कॉम	शिक्षाविद	आर डी पी एस एन 48 सुल्तान पुरी रोड ब्लॉक डी-5 कृष्ण विहार दिल्ली	2 वर्ष	Varun
8	बबीता भारदवाज पुत्री श्री सतपाल	28.08.1970	सदस्य	सेवक	सेवक	आर डी पी एस एन 48 सुल्तान पुरी रोड ब्लॉक डी-5 कृष्ण विहार दिल्ली	20 वर्ष	Babita
9	रमेश चन्द्र पुत्र श्री पद्मलाल	05.01.1975	सदस्य	दस्ती	नौकरी	आर डी आई एस पाकेट 9 - सै 0 21 रोहिणी दिल्ली	02 वर्ष	X4
10	सीना ढाका पुत्री श्रीश्याम लाल	18.02.1981	सदस्य	बरहवी	व्यवसाय	मैन शहर बहादुरगढ़	3 वर्ष	Jean

दलबीर सिंह
(अध्यक्ष)

जय किशन
(सचिव)
जय किशन
सचिव
कल छाका विकास बोसावडी (रवि.)

सुशीला देवी
(कोषाध्यक्ष)
Sushila Devi



(20)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF SOCIETY
District North-West, Kanjhawala, Delhi-110081
Registration No. 5114465
Documentation No. _____
Date 18/04/1984

Registrar of society
District North- West
Govt. of NCT of Delhi

Amended as on 11.12.2011


Registrar of Society (N.W.)

SDM (HQ) Registrar of Firms/Society
District North- West, Kanjhawala, Delhi
Diary No. 13.24
Date 31/10/2010

L
Th